न्यायालय उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ।

वाद स०—182 /10—11
धारा—143 यू०पी०जेड०ए० एण्ड एल०आर० एक्ट
एफ आई मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी
ग्राम बनी, परगना. बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर,
जिला लखनऊ।

117
04-02-2017

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही सुश्री माला गुप्ता, एंव श्री बाबू राम सदस्य एफ आई मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ के संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.10 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमे कहा गया है कि ग्राम बनी, परगना. बिजनौर, तहसील सारोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1424—1429 फसली खाता संख्या—323, 337, 340, 346, 326, 327, 328, 329, की आराजी संख्या—1275स/1.8230 हे० प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिघर के रूप में अंकित है, ऐसी दशा में भूमिका उपयोग अकृषिक/आवासीय दर्ज कराना चाहता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सके। प्रर्थना पत्र की जांच तहसीलदार सरोजनी नगर, जिला लखनऊ से करायी गयी, तहसीलदार सरोजनी नगर, जिला लखनऊ ने अपनी जांच आख्या दिनांक 23/01/2011 को प्रेषित करते हुये यह उल्लेखित किया, कि ग्राम बनी, परगना. बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1424—1429 फसली खाता संख्या—323, 337, 340, 346, 326, 327, 328, 329, की आराजी संख्या— 1275स/1.8230 हे० प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, भूमि में वर्तमान समय में कृषि कार्य नही हो रहा हैं, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/ बागवानी/कुक्कुटपालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, तहसील आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या में ज० विनियमावली के नियम—135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या दिनांक — 23/01/2011 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य /बागवानी /कुक्कुटपालन /मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एवं भूमि पर अकृषिक गतिविधिया विद्यमान है, उक्त भूमिको ज० वि० अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक/ आवासीय घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

Scanned with CamScanner

आदेश

ग्राम बनी, परगना. बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1424–1429 फसली खाता संख्या– 323, 337, 340, 346, 326, 327, 328, 329, की आराजी संख्या–1275 स/1.8230 हे0 को ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक /आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक –एक प्रति तहसीलदार सरोजनी नगर, जिला लखनऊ व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु / सूचनार्थ भेजी गयी पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

117
04-02-2012

(मनोज राय)
उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर,
जिला लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 17-03-2011 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनाकिंत एवं खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

17/03/11
(मनोज राय)
उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर,
जिला लखनऊ।

कार्यालय तहसीलदार जिला ... उ0प्र0

प्रार्थनापत्र देय तिथि - 03-02-2012
तैय्यार करने की तिथि - 04-02-2012

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर, नकल आदेश दिनांक 03-02-2012 वाद संख्या 182/10-11 एफ.आई. मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ बनाम सरकार धारा 143 ZA&LR ACT ग्राम-बनी, परगना बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर जिला लखनऊ। निर्गत तिथि 03-02-2012

प्रयोगोपरान्त के लिये निरस्त किया जाता है। आदेश दिनांक 03-02-2012 की छाया प्रति संलग्न है।

117
04-02-2012

Scanned with CamScanner